

भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड III में दिनांक 29 दिसम्बर, 1997 को प्रकाशित ।

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
॥ राजस्व विभाग ॥

नई दिल्ली, 29-12-97

अधिसूचना

सां०आ०—॥अ॥ आयकर अधिनियम 1961, § 1961 का 43 § की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड §ख॥ के साथ पठित उपधारा § 1॥ के अन्तर्गत जारी की गई दिनांक 17 मार्च, 1997 की अधिसूचना सं० सां०आ० 206॥अ॥ के द्वारा केन्द्रीय सरकार ने क्र०सं० 11 पर सनातन अश्विकुल आश्रम सेवा न्यास, गांव बाक्समा, डाकखाना भोजपुर सबडिवीजन कुचिन्दा, सम्बलपुर, उड़ीसा-768223 द्वारा गांव बाक्समा, जिला सम्बलपुर उड़ीसा में स्कूल होस्टल के भवन का निर्माण, उपरकर और तुलजा उपलब्ध कराने को पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में वर्ष 1997-98 से आरम्भ होनेवाले वर्ष से दो वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट किया था ।

और इस परियोजना के दो वर्षों के अधिक चलने की संभावना है ।

और राष्ट्रीय समिति ने, यह समाधान होने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उपनियम § 5॥ के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम के आगे और एक वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ।

अब, अतः केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 § 1961 का 43॥ की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड §ख॥ के साथ पठित उपधारा § 1॥ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा केवल दस लाख रुपए की अनुमानित लागत सनातन अश्विकुल आश्रम सेवा न्यास, गांव बाक्समा, डाकखाना भोजपुर, सबडिवीजन कुचिन्दा, सम्बलपुर, उड़ीसा-768223 द्वारा चलाई जा रही गांव बाक्समा, जिला सम्बलपुर, उड़ीसा में स्कूल होस्टल के भवन का निर्माण, उपरकर और तुलजा उपलब्ध करवाने को पात्र परियोजना या स्कीम के रूप

भारत के राजपत्र अध्याधारण भाग-1A खण्ड-3, उपखण्ड 111 में दिनांक 29

दिसम्बर, 1997 को प्रकाशनार्थ ।

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 29 दिसम्बर, 1997

अधिसूचना

सां० आ० ————— १०१ केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 ११११ का 43 १ की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ११ के साथ पठित उपधारा ११ के अन्तर्गत जारी की गई दिनांक 17 अक्टूबर, 1995 की अधिसूचना सं० सां० आ० 844 १०१ द्वारा तिरुवर लायन्स, आई हास्पिटल, 59- दक्षिण तिरुवर 610002 तमिलनाडु द्वारा तमिलनाडु, नागा क्वाइड मिल्लथ, तालुका- नन्नीलम के वंदामपल्ल ग्राम में तिरुवर आई हास्पिटल के निर्माण, उपकरण एवं साज-सज्जा की एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में कर निर्धारण वर्ष 1996-97 से आरम्भ होने वाले दो कर निर्धारण वर्षों के लिए क्रम संख्या-3 पर विनिर्दिष्ट किया था ।

और इस परियोजना अथवा स्कीम के दो वर्षों से अधिक चलने की सम्भावना है,

और राष्ट्रीय समिति ने यह समाधान होने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उप नियम १५ के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे और तीन वर्ष तक की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है,

अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 ११११ का 43 १ की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ११ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग

वासवानगुडी, नेशनल कौंसिल के ब्रिडेट, संगतोर में चलाई जा रही तैराकों के लिए ठहरने की सुविधाओं सहित स्वीमिंग पूल काम्पलेक्स एवं आधुनिक जिमनेजियम के निर्माण की योजना को मात्र एक सौ लाख तीस हजार रुपये की अनुमानित लागत पर पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से आरम्भ होने वाली तीस और निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करती है।


।वी।के। सहमत।

उप सचिव, भारत सरकार

सं० 10488

फा० सं० - ए० सं० 141/97

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART-II
SECTION 3, SUB-SECTION (ii) DATED THE 29TH DECEMBER, 1997

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)

New Delhi the 29th December, 1997

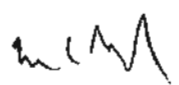
NOTIFICATION

S.O. (E).- Whereas by notification number S.O.402 (E) dated the 3rd May, 1995 issued under sub-section (1) read with clause (b) of Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 10, Construction of swimming pool complex with facilities of boarding and lodging for the Swimmers and a modern gymnasium at Basavanagudi, near National College, Bangalore and running of Basavanagudi Aquatic Centre, Shankar Prasad, number 34, Shankar Mutt Road, Basavanagudi, Bangalore -560004 as an eligible project or scheme for a period of three years commencing from the assessment year 1996-97;

AND WHEREAS the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

AND WHEREAS the National Committee, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

NOW, THEREFORE, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of Construction of swimming pool complex with facilities of boarding and lodging for the Swimmers and a modern gymnasium at Basavanagudi, near National College, Bangalore and running, being carried out by Basavanagudi Aquatic Centre, Shankar Prasad, number 34, Shankar Mutt Road, Basavanagudi, Bangalore -560004 at the estimated cost of rupees one hundred lakhs thirty thousand only as an eligible project or scheme for a further period of three assessment years commencing from assessment year 1999-2000.


(V.K. SEHGAL)

Deputy Secretary to the Government of India

No. 10488
F.No. NC-141/97